



2026:AHC-LKO:3659-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 11954 सन 2025

राम शंकर वर्मा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : त्रिवेन्द्र कुमार शर्मा, अनिल पांडे, संजय कुमार बाजपेयी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शोभित मोहन शुक्ला, अभिषेक खरे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. पिछले आदेश में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर करने का उल्लेख है, लेकिन अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि द्वितीय अपील में कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
4. इस स्थिति में, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है और उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसे यथाशीघ्र, लेकिन कानून के अनुसार, प्रभावी किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 19, 2026

आर.के.पी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।